संख्या-226/2018/3967/26-3-2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 20 नवम्बर 2018

विषय:- **आई0एफ0टी0एम0 विश्विद्यालय मुरादाबाद संस्थान के अनुसूचित जाति के छात्रों की लम्बित शुल्कप्रतिपूर्ति के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2796/स.क./शिक्षा-अ/कोड-02/ 42/2018-19, दिनाक-20.11.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार 3535 अनुसूचित जाति छात्रों के सापेक्ष वर्ष 2015-16 के अनुसार रू0 648.85267 लाख की उत्पन्न देयता के सापेक्ष वर्ष 2014-15 में न्यूनतम दर पर त्रुटिपूर्ण भुगतानित धनराशि रू0 132.42168 लाख के समायोजनोंपरान्त रू0 516.43099 लाख की धनराशि का भुगतान किया जाना है। उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक-31.08.2018 के माध्यम से रूपये-417.69332 लाख के व्यय की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। अवशेष धनराशि रूपये-516.43099-417.69332-रूपये-98.73767 लाख के व्यय की आवश्कता बतायी गयी है। प्रस्ताव पर सम्यक्विचारोपरान्त आई0एफ0टी0एम0 विष्वविद्यालय, मुरादाबाद संस्थान के पात्र पाये गये अनुसूचित जाति के छात्रों की लम्बित शुल्कप्रतिपूर्ति की देय धनराशि रू0-98.73767 लाख (रू0-अठ्ठान्वे लाख तिहत्तर हजार सात सौ सड़सठ मात्र) के भुगतान की अनुमति शासनादेश संख्या-163/2018/2474/26-3-2018 दिनांक 25-07-2018 द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति से अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

पृ.संख्या-226/2018/3967(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।